

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
कमलादेवी पत्नी नारायणलाल जाति मीणा  
निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/441  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16 $\frac{07}{25}$	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 413, 413/439 कुल खसरा 02 कुल रकबा 15.6900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व गै.मु.तेड कुल लगान 78.2500 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्या दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादीगण  
कमलादेवी पत्नी नारायणलाल जाति भीणा  
निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/441**  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 413, 413/439 कुल खसरा 02 कुल रकबा 15.6900 हैक्टर किरम वारानी दोयन व नै.मुतेड कुल लगान 78.2500 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार नौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/07/25 को जारी की गई।





(दिनेश विश्वाई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली


नजरी नक्शा मौके अनुसार






ग्राम - खारदी  
 प.म. - वेडर  
 भू.अ.नि. वृत्त - खुड़ाला  
 तहसील - बाली



  
 तहसीलदार (भू.अ.) बाली

  
 राजेश (भू.अ.)  
 तहसील-बाली (पाली)

  
 राजेन्द्र सिंह  
 भू-अभिलेख निरीक्षक, खुड़ाला  
 तहसील-बाली (पाली)

क्र.स.	काशतकार का विवरण	नये काशतकार वर्ण द्वारा प्रदर्शित	हस्ताक्षर
	कमला देवी पति नारायणलाल जाति-मीणा		कमला
	गंगा देवी पति धानाराध जाति-जणकचौधरी		गंगा
	सूरी देवी पति लीवाराध जाति-जणक-चौधरी		
	सुनिल देवी पति लक्ष्मीचन्द जाति-मीणाली		सुशीला